न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 25/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बिनाम

अप्रार्थी

खुबा पुत्र सदा जी, जाति–मेघवाल, निवासी–हरणी अमरापुरा, तह. रेवदर,जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थिति:

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :— **दिनांक 29 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 203/1310 रकबा 3—00 बीघा किस्म ब 3 भूमि का अप्रार्थी को वर्ष 2004 में कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटिती भूमि रकबा 3—00 बीघा का मौके पर अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1123 से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। प्रकरण में अप्रार्थी के अधिवक्ता को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार समय दिया गया, लेकिन प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10.10.2025 को अप्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी को तीन तीन बार आवाजें लगवाने के बावजूद भी अप्रार्थी के अधिवक्ता अथवा अप्रार्थी उपस्थित नही हुए एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 203/1310 रकबा 3—00 बीघा किस्म ब 3 भूमि का अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती/अप्रार्थी को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है।

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी/आवंटिती को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 203/1310 रकबा 3–00 बीघा किस्म ब. 3 भूमि का अप्रार्थी को उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के आदेश क्रमांक 1622 दिनांक 22.12.2004 के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1123 दिनांक 19.2.2005 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है।"

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 203/1310 रकबा 3–00 बीघा किस्म ब. 3 भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही